प्रेस नोट **13/05/2024**

जिलाबदर घोषित अपराधी किया गया जिले से बाहर-

लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक रामपुर श्री जगदीश प्रसाद द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी मऊ के आदेश के क्रम में मु0अ0सं0 236/18 धारा 376डी, 504,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मधुबन व मु0अ0सं0 30/22 धारा 323,504,506 भादवि थाना रामपुर जनपद मऊ। से संबंधित अभियुक्त सतीश पुत्र नकुल निवासी गोठा बारी थाना रामपुर जनपद मऊ को गुण्डा एक्ट के तहत 06 माह के लिये जिलाबदर की कार्यवाही हेतु जनपद के सीमा के बाहर करते हुए आज दिनांक 13.05.2024 को प्रभारी निरीक्षक रामपुर द्वारा जनपद से निष्कासित किया गया।

20.8 किग्रा अवैध गांजा, 02 अदद मोबाइल व 1520 रुपये के साथ दो अन्तर्राज्यीय शातिर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.05.2024 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बस स्टाप लाखीपुर के पास में अभियुक्तगण राजकुमार भरत पुत्र शंकर भरत निवासी उडालगुडी, अमर महतो पुत्र गनेश महतो निवासी सोनाडिलापट्टी थाना उडालगुडी असम के कब्जे से 20.8 किग्रा अवैध गांजा, दो अदद मोबाइल (टेक्नो स्पार्क, ब्लैक जोन) तथा 1520 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 193/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. राजकुमार भरत पुत्र शंकर भरत निवासी उडालगुडी थाना उडालगुडी असम।
2. अमर महतो पुत्र गनेश महतो निवासी सोनाडिलापट्टी थाना उडालगुडी असम।

बरामदगी-

1. 20.8 किग्रा अवैध गांजा।
2. दो अदद मोबाइल (टेक्नो स्पार्क, ब्लैक जोन)।
3. 1520 रुपये।

लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 13.05.2024 सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में भारी संख्या में जनपदीय पुलिस बल के साथ संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर रूट मार्च/पैदल गस्त किया जा रहा है तथा शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति भरोसा दिलाया जा रहा है एवं अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में हिदायत दी जा रही है। साथ ही साथ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।